राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय

क्रमांकः प0 9 (1)सम्पर्क/पार्ट–3/2002/) जयपुर, दिनांकः–

समस्त
संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
राजस्थान

परिपत्र

विषयः– अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी एवं सामूहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धी निर्देश।

राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2014–15 के बिन्दु संख्या 214, 215 व 216 की अनुपालना में अधिस्वीकृत पत्रकारों की मेडिक्लेम बीमा सुविधा की कवरेज राशि 5 लाख के स्थान पर 2 लाख एवं 10 लाख की गई है। साथ ही प्रेस फोटोग्राफर के लिए 2 लाख रूपयें की ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी (ऑप्शनल) की गई है।

वित्त (व्यय 5) विभाग की संचायिका पर प्राप्त स्वीकृति संख्या 101403312 दिनांक 05.09.2014 के आदेशानुसार **मेडिक्लेम बीमा प्रीमियम की 90 प्रतिशत राशि राजस्थान पत्रकार कल्याण कोष से वहन की जायेगी तथा 10 प्रतिशत राशि सम्बन्धित अधिस्वीकृत पत्रकार से डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त की जायेगी।**

जिलों में पदस्थापित समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक/सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारियों को मेडिक्लेम पॉलिसी का नोटिफिकेशन दिनांक 22 फरवरी–2010, **अधिस्वीकृत पत्रकारों** की मेडिक्लेम पॉलिसी का आवेदन पत्र, अधिस्वीकृत पत्रकारों के समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के लिए आवेदन पत्र, मेडिक्लेम सुविधा के लिए अधिकृत चिकित्सालयों की सूची तथा मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी दावा प्रपत्र का प्रारूप दिये जा रहे हैं। कृपया इनका भली–भांति अध्ययन कर **दिनांक 07.10.2014** तक अपने **जिले के अधिस्वीकृत पत्रकारों** के मेडिक्लेम प्रपत्र पूर्ति कर मय बैंक डीडी के साथ दो प्रतियों में आवश्यक रूप से निदेशालय में प्रस्तुत करें।

राज्य सरकार द्वारा मेडिक्लेम बीमा कवरेज राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 में 2 लाख एवं 10 लाख रूपये निर्धारित की है। अतः मेडिक्लेम बीमा राशि का वार्षिक प्रीमियम राशि निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः– अतः पत्रकारों से निम्न रूप से पॉलिसी की वार्षिक प्रीमियम राशि प्राप्त कर बैंक डीडी बनाकर आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	पॉलिसी का विवरण	कुल वार्षिक प्रीमियम	राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष से व्यय होने वाला अंशदान	अधिस्वीकृत पत्रकारों से बैंक डीडी से प्राप्त होने वाली अंशदान की राशि
1.	मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी 2 लाख रूपये हेतु	8,000/–	90 प्रतिशत राशि 7,200/–रू.	10 प्रतिशत राशि 800/–
2.	सामूहिक दुर्घटना बीमा	500/–	75 प्रतिशत राशि 375/– रूपये	25 प्रतिशत राशि 125/–
	कुल राशि	8,500/–	7,575/–	925/–

1.	मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी 10 लाख रूपये हेतु	40,000/–	90 प्रतिशत राशि 36,000/–रू.	10 प्रतिशत राशि 4,000/–
2.	सामूहिक दुर्घटना बीमा	500/–	75 प्रतिशत राशि 375/– रूपये	25 प्रतिशत राशि 125/–
	कुल राशि	40500/–	36,375/–	4,125/–
1.	सामूहिक दुर्घटना बीमा प्रेस फोटोग्राफर्स के लिए	500/–	75 प्रतिशत राशि 375/– रूपये	25 प्रतिशत राशि 125/–

मेडिक्लेम बीमा नवीन पॉलिसी के प्रस्ताव

नवीन मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी लेने के लिए प्रत्येक **अधिस्वीकृत पत्रकार** से 925 /– रूपये या 4,125/– रूपयें की राशि का बैंक डीडी "राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष जयपुर" के नाम प्राप्त किया जायेगा तथा मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी प्रपत्र, समूह दुर्घटना बीमा प्रपत्र, अधिस्वीकरण कार्ड की फोटो प्रति, मूल आवेदन पत्र के साथ अतिरिक्त फोटो सहित प्रस्ताव दो प्रतियों में तैयार कर **दिनांक 07.10.2014 तक** आवश्यक रूप से तैयार निदेशालय में प्रस्तुत करें। प्रपत्र में चाही गई जानकारी स्पष्ट अक्षरों में अंकित होना आवश्यक है तथा कोई कॉलम खाली नहीं रहे, यह भी सुनिश्चित किया जाये।

मेडिक्लेम बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण

जिन अधिस्वीकृत पत्रकारों द्वारा मेडिक्लेम बीमा योजना का लाभ लिया जा रहा है उनके बीमा की अवधि 19.10.2014 को समाप्त हो रही है। इसलिए बीमा धारित अधिस्वीकृत पत्रकारों की पॉलिसी का नवीनीकरण किया जायेगा। इसके लिए अधिस्वीकृत पत्रकार से दिनांक 07.10.2014 तक आवेदन पत्र, राशि 925 या 4,125 रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट, मेडिक्लेम कार्ड की फोटो प्रति और अधिस्वीकरण कार्ड की फोटो प्रति के साथ दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्राप्त कर निदेशालय को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

जिले के समस्त अधिस्वीकृत पत्रकारों के मेडिक्लेम बीमा योजना/नवीनीकरण और सामूहिक दुर्घटना के प्रस्ताव एक साथ ही प्राप्त कर मय सूची के साथ निदेशालय में **दिनांक 07.10.2014 तक** आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। अधिस्वीकृत पत्रकार का नाम व डाक का पूरा पता, अधिस्वीकरण कार्ड संख्या, मोबाईल/दूरभाष नवम्बर, जन्म तिथि बैंक डीडी संख्या, दिनांक तथा राशि का सूची में उल्लेख आवश्यक रूपये करें।

संलग्नः– एक सेट

निदेशक
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर

12550-57
26/9/14

प्रतिलिपिः– एनलिस्ट कम प्रोग्रामर, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को उक्त आदेश एवं सेट विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

26/9/2014
निदेशक